

पुखराज बनाम लो.सू.अ. (जिला रसद अधिकारी द्वितीय, जोधपुर)

नं० व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

सू.अ.अ. अपील संख्या 177/2020

26.10.20

अपीलार्थी पुखराज, पता खाबड़ाखूर्द, औसियां जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 10.08.20 में उसके द्वारा (1) पोशमशीन सं. 10479 खाबड़ा खूर्द, औसियां में गेहूं स्टॉक नवम्बर से जून 2020 तक कुल कितना माल उठाया व कुल वितरण कितना से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 390 दिनांक 21.09.20 सूचना दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) से जरिये पत्रांक 421 दिनांक 23.0.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट के साथ अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रथम अपीलीय अधिकारी को संबोधित करते हुए प्रार्थना पत्र बाबत प्रथम अपील सं. 177/20 में चाही गई सूचना उपलब्ध होने का पेश किया गया उसकी प्रति भी संलग्न है।

चूंकि अपीलार्थी को सूचना प्राप्त हो चुकी है तथा अपील निरस्त करने की प्रार्थना भी की है अतः यह अपील प्रभावहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

